

जा रहा है। राकेश कवर न केही कि प्रकृतिक खेती का अपना चुकी किसानों को देसी नस्ल की गाय खरीदने के लिए सबसेसीदी दी जाएगी। इसके लिए परकर की ओर से भी घोषणा की जा चुकी है। इसके अलावा किसानों के उत्पादों को सही मार्केट देने के लिए ग्रामीण हाट खोली जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से योजना तैयार की जा रही है।

# यूको बैंक UCO Bank

**इ-नीलामी बिक्री सूचना**

शाखा कार्यालय : एचपीएमआइडीसी सर्कुलर रोड, शिमला हि.प्र. फोन 0177-2625946

## बिक्री सूचना (केवल इ-नीलामी के माध्यम से बिक्री)

इएमडी (एनइएफटी/आरटीजीएस द्वारा) और दस्तावेजों (हार्ड कॉपी) की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय 11.03.2019 को अपराह्न 5.00 बजे तक  
 इएमडी (एनइएफटी/आरटीजीएस द्वारा) और दस्तावेजों (ऑनलाइन) की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय 13.03.2019 को अपराह्न 3.00 बजे तक  
 ऑनलाइन नीलामी पंच : वेबसाइट : <https://ucobank.auctiontiger.net>

वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन (सर्फेसी) अधिनियम, 2002 (2002 की सं. 54) के अधीन बैंक को रेहन चल/अचल संपत्ति की बिक्री। यूको बैंक का प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक के कर्जों की वसूली के लिए "जैसी है जहाँ है के आधार" तथा "जैसी है जो कुछ है के आधार पर" बंधन के अधीनकार के साथ शाखा के साथ निम्नलिखित ऋण खातों में वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन (सर्फेसी) अधिनियम, 2002 के धारा 15(2) के अंतर्गत जारी किए नोटिस के आधार पर निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> पर [ucobank.auctiontiger.net](https://ucobank.auctiontiger.net) पर व्यवस्थित इ-नीलामी पंच के माध्यम से की जाएगी।

कर्जदार/गारंटर व शाखा का नाम	संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	भौतिक कब्जे/प्रतीकात्मक कब्जे की तिथि	आरोक्षित मूल्य	इ-नीलामी की तिथि व समय
		बकाया राशि (प्रतिभूति देय)	अधिकारिता संबंधित का विवरण	प्राथमिकता राशि	

इएमडी जमा खाता नं. 15551030080018, आइएफएससी कोड - UCBA0001555, बैनॉफिशरि का नाम : यूको बैंक शाखा एचपीएमआइडीसी शिमला, इ-नीलामी

श्री रामेश्वर सुपुत्र श्री झारखू राम, गांव दहर, पी.ओ. दिपोंरी खनेटी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि.प्र.)	बिक्री विलेख नं. 696 तिथि 23.04.2013 के सं. 494/2014 तिथि 25.03.2014 के अंतर्गत बैंकों को पंजीकृत रहन। मुहाल लम्बोदार तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला में स्थित खसरा नं. 339/191/2 धारक खाता	26.06.2018	17.09.2018	16,58,800/- रु. 10,000/- रु. निरीक्षण तिथि : 05.03.2019	15.03.2019, पूर्वाह्न 11.00 से दोपहर 12.00 बजे (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
---	--	------------	------------	---	---

श्री देविन्द सुपुत्र श्री झारखू देव, गांव दहर, पी.ओ. रयोरों, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि.प्र.)	नं. 495/2015 तिथि 25.03.2014 के अंतर्गत बैंकों को पंजीकृत रहन व बिक्री विलेख नं. 712 तिथि 25.04.2013 मोहाल लम्बोधार तहसील शिमला ग्रामीण जिला शिमला में स्थित खसरा नं. 398/206 धारक खाता खसरा नं. 11 मिन/12 मिन में शामिल भूमि रकबा 0-02-32 हैक्टेयर और उस पर निर्मित संरचना।	26.06.2018	17.09.2018	34.45 लाख रु. 3,44,500/- रु. 10,000/- रु. निरीक्षण तिथि : 05.03.2019	15.03.2019, पूर्वाह्न 11.00 से दोपहर 12.00 बजे (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
---	--	------------	------------	---	---

### संपत्ति विवरण के साथ फोटोग्राफ वैंड पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा ([https://ibapl.in/sale\\_info\\_login.aspx](https://ibapl.in/sale_info_login.aspx))

इ-नीलामी बिक्री की निबंधन एवं शर्तें : 1. संपत्ति की बिक्री "जैसी है जहाँ है के आधार" तथा "जैसी है जो कुछ है के आधार" और "वहाँ जो मौजूद है के आधार" व "बिना रिफॉर्स आधार" पर की जा रही है। इच्छुक बोलीदाताओं को राकेश/एसआर/ओ.एन.रिफॉर्स से वेबी जाने वाली प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में शोधक, पहचान, विस्तार, माप, सर्वेक्षण संख्या, दरजा संख्या, परिष्कृतता और प्रभारों के बारे में जानकारी हासिल करने को सलाह दी जाती है। 2. बोलियों निर्धारित प्रश्नों में केवल ऑनलाइन प्रस्तुत की जाने चाहिए। ऑनलाइन बोलियों वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> पर जाकर ही प्रस्तुत की जा सकती है। बोलियों दिनांक 13.03.2019 को अपराह्न 3.00 बजे या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाने चाहिए। 3. बोलियों बोली प्रश्न में संलग्न अनुसार पहचान दस्तावेजों की प्रति के साथ प्रस्तुत की जाने चाहिए। केवल पैन कार्ड, पासपोर्ट, वॉटर आइड, वैध इच्छुबंधन लाइसेंस या फोटो पहचान पत्र जो केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी हो, की प्रति ही पहचान दस्तावेज के लिए स्वीकार्य होगी और बोलियों प्रश्न की जाने चाहिए, बोलीदाता को विदेशी या आइओ धारक दो देशों की नागरिकता/एनआरआई रखने वाले बोलियों को उसके वैध भारतीय पासपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। 4. बोलियों प्रश्न में शामिल भूमि रकबा 0-02-32 हैक्टेयर और उस पर निर्मित संरचना के साथ प्रस्तुत करनी है। 5. गांव पर प्रस्तुत कल्ला अनिवार्य है। 6. इएमडी राशि के तौर पर निर्धारित मूल्य/आरटीजीएस/एनइएफटी/एनआईएस के माध्यम से प्रत्येक खाते में वर्णित और अदा की गई राशि का विवरण, बोली प्रश्न में दशांश अनुसार साफ तौर पर अंकित करना है, असफल बोलियोंदाता द्वारा अदा की गई इएमडी राशि को बिना ब्याज के बैंक द्वारा उन्हें प्रत्यापित कर दिया जाएगा। नीलामी की रद्द होने की तिथि में भी, इएमडी राशि को बिना ब्याज के बैंक द्वारा वापस कर दिया जाएगा। भाग लेने वाले बोलियोंदाताओं को नीलामी के समापन के बाद उस तिथि में बैंक से संपर्क करना अपेक्षित है। 7. बोलियों प्रश्न में शामिल भूमि रकबा 0-02-32 हैक्टेयर और उस पर निर्मित संरचना के साथ प्रस्तुत करनी है। इच्छुक बोलियोंदाता के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विधिगत हस्ताक्षर किए हुए 11.03.2019 को या उससे पूर्व भेजना होगा। डाक प्राधिकरण/कूरियर एजेंसी/केरियर द्वारा बैंक को बोलियों प्रश्न/या तथा संलग्न ऑरिडिनरी/ऑरिडिनरी में देरी के विषय में बैंक किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा। 8. अर्पण बोलियों, अहस्ताक्षरित बोलियों उपरोक्त क्र. सं. 2, 3, 4 व 5 अनुसार बोलियों व हारे पर उन्हें सीधे तौर पर रद्द कर दिया जाएगा। बोलियों को ऊपर दशांश आरक्षित मूल्य के अनुसार नहीं है, उन्हें भी सीधे तौर पर रद्द कर दिया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों या रद्द होने या स्थान/रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। 9. नीलामी बोलियों केवल ऑनलाइन इ-नीलामी द्वारा होगा, ऑनलाइन बोलियों केवल उच्चतम बोलियों उद्घृत की बोलियों से शुरू होगा तथा प्रत्येक बोलियों के लिए न्यूनतम वृद्धि बैच के प्रत्येक संपत्ति के अंतर्गत ऊपर फोटोग्राफ गया है या एक अधिक बोलीदाता को उसके पंच में बिक्री को पुष्टि होने तक उसका संपत्ति के शीर्षक/कोड अधिकार नहीं होगा। 10. अचल संपत्ति की बिक्री पर सफल बोलियोंदाता को बिक्री राशि का 25% (इएमडी सहित) प्राधिकृत अधिकारी को बैंक खाता क्र. सं. 4 को आरटीजीएस/एनइएफटी/एनआईएस द्वारा भेजना होगा, जिसमें असफल होने पर धारक राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति के अंतर्गत बिक्री की जाएगी। बिक्री सफल बोलियोंदाता के पक्ष में की जाएगी, जिसने प्राधिकृत अधिकारी को उसकी बोली उच्चतम बिक्री राशि पत्र को है और प्रतिभूति ऋणदाता की पुष्टि के अधीन होगी। ध्यान रहे इस नियम के अंतर्गत कोई बिक्री की नहीं जाएगी, बिक्री राशि द्वारा पेश की गई राशि यदि आरक्षित मूल्य में कम है उपरोक्त निर्दिष्ट। आगामी तौर पर यह भी बताया जाता है कि यदि प्राधिकृत अधिकारी आरक्षित मूल्य से अधिक राशि प्राप्त करने में असफल होता है तो वह पेश की राशि पर बिक्री को प्रभावी बनाने के लिए कर्जदार तथा प्रतिभूति ऋणदाता के बीच सहमति कर सकता है। 11. सफल बोलियोंदाता बकाया राशि को बैंक/पंच से बिक्री की पुष्टि होने के 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर जमा करेगा। यदि सफल बोलियोंदाता बकाया बोली राशि को कृपया अंशों के अंदर जमा करने में असफल रहता है तो उसकी जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा संपत्ति को दोबारा बिक्री की जाएगी और चुककर्त सफल बोलियोंदाता को संपत्ति या उसके किसी भी भाग या राशि जिस पर उसकी ब्याज में बिक्री की जाएगी, कोई अधिकार नहीं होगा, इस मामले में वह उसके द्वारा पहले अदा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। उसे संपत्ति के ऊपर या राशि जिसके लिए संपत्ति को ब्याज में बिक्री की जाएगी, के ऊपर कोई अधिकार और दावा भी नहीं होगा। 12. संपत्ति का निरीक्षण शाखा प्रबंधक से पूर्व अनुमति पर 05.03.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक कर सकते हैं। आगामी संपत्ति को जातकारी यदि अपेक्षित हो, के लिए प. डू-प्रोचोरमेंट टैक्नॉलॉजीस लिमि. (Auction Tiger) अहमदाबाद : सम्पर्क व्यक्ति श्री कुशल कोठारी, मोबाइल : 07940230832, श्री सचिन शर्मा, मो. 099988137576, सम्पर्क सं. 079-40230813/814/815/816/817/818/819/820 इमेल आईडी [punjab@auctiontiger.net](mailto:punjab@auctiontiger.net); [sachin.sharma@auctiontiger.net](mailto:sachin.sharma@auctiontiger.net); [support@auctiontiger.net](mailto:support@auctiontiger.net) से प्राप्त कर सकते हैं। 14. दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ बोलियों प्रस्तुत कर सकते हैं, इस मामले में बिक्री प्रमाण पत्र केवल उनके संयुक्त नामों से जारी किया जाएगा। बिक्री प्रमाण पत्र में बोलियों में दशांश एवं नामों से अलग नामों की शामिल/बदली के लिए अनुरोध विचार नहीं जाएगा। 15. संपत्ति के एक से अधिक आइटमों की बिक्री के मामले में, संपत्तियों की बिक्री खर्च के अनुसार की जाएगी और यह बिक्री सूचना में दशांश अनुसार क्रमबद्ध अनुसार अनिवार्य नहीं होगा। 16. बोलियोंदाता/नीलामी के सफल बोलियोंदाता की सभी सूचनाएं इ-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा इ-मेल के माध्यम से प्राथमिक तौर पर भेज दी जाएगी। इमेल भेजने की तिथि को सूचना की तिथि के तौर पर माना जाएगा। यदि कोई सूचना नहीं पहुंचती है तो बोलियोंदाता इ-नीलामी सेवा प्रदाता से विधि प्राप्त करने का प्रयास भी कर सकते हैं। ई-नीलामी पर प्रेषित पत्रों पर उसे मुद्रा/अदायगी व सीधे कारण नहीं समझा जाएगा। 17. बिक्री की पुष्टि नहीं की जाएगी यदि सफल बोलियोंदाता को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने की प्राधिकृत अधिकारी को तिथि से पूर्व बैंक के अनुबंधीय ऋणों के साथ अन्य खातों की अदायगी बैंक नहीं करता है। इसे मामलों में सफल बोलियोंदाता द्वारा अदा की गई संपूर्ण राशि को बिना ब्याज के बैंक द्वारा वापस कर दिया जाएगा। 18. संधिगत देयताओं/बकाया आदि को सरकार/स्थायी निकायों को देय है, सभी सफल बोलियोंदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। 19. सफल बोलियोंदाता कानून के अनुसार संपत्ति के पंजीकरण के लिए देय प्रभारों और फीस को अदायगी का वहन करेगा। 20. बोलियोंदाताओं को नीलामी में भाग लेने से पूर्व सेवा प्रदाता पोर्टल/वेबसाइट ([viz.https://ucobank.auctiontiger.net](http://viz.https://ucobank.auctiontiger.net)) के माध्यम से जाने को सलाह दी जाती है। सभी भारदार बोलियोंदाताओं को बिक्री की शर्तों को पढ़ने तथा समझने और शर्तों द्वारा मान्यता का पालन करना होगा। 21. इ-नीलामीकरण से संबंधित विवरण इ-नीलामी सेवा प्रदाता जैसे ई-प्रोचोरमेंट टैक्नॉलॉजीस लिमि. (Auction Tiger) अहमदाबाद : सम्पर्क व्यक्ति श्री कुशल कोठारी, मोबाइल : 07940230832, श्री सचिन शर्मा, मो. 099988137576, सम्पर्क सं. 079-40230813/814/815/816/817/818/819/820 इमेल आईडी [punjab@auctiontiger.net](mailto:punjab@auctiontiger.net); [sachin.sharma@auctiontiger.net](mailto:sachin.sharma@auctiontiger.net); [support@auctiontiger.net](mailto:support@auctiontiger.net) से प्राप्त कर सकते हैं। नीलामी बिक्री प्रतिभूति ऋणदाता बैंक की पुष्टि के अधीन है। आगामी पुस्तक यदि कोई है, संपत्ति, दस्तावेज के संलग्न तथा या बिक्री की निबंधन एवं शर्तों से संबंधित विवरण को संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को ऊपर वर्णित है, से प्राप्त कर सकते हैं।

टिप्पणी : सर्फेसी अधिनियम 2002 के अधीन सांविधिक 30 दिनों की बिक्री सूचना  
 22. उपरोक्त वर्णित तिथि को नीलामी बिक्री आयोजित करने के लिए कर्जदारों तथा गारंटियों के लिए यह नोटिस भी है जिन्होंने पूर्ण रूप से उनके बकायों को अदायगी नहीं की है।  
 टिप्पणी : इ-नीलामी के लिए इ-नीलामी द्वारा कोई बोली प्राप्त न होने पर, प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त समाप्त तिथि एवं समय पर सार्वजनिक नीलामी को आयोजित करने हेतु डिमांड इम्पॉजिटिव आर्डर/आरटीजीएस आर्डर के माध्यम से मैनुअल रूप से बोली को स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत है।

दिनांक : 12.02.2019 स्थान : शिमला प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

Divya Kumachal 13.02.19